न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या– अपीलडि./टीए/3761/2003/चितौडगढ

1. प्यार चन्द पिता भोला धाकड निवासी चेंची तहसील बेंगू जिला चितौडगढ

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बेंगू जिला चितौडगढ
2. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, चितौडगढ

–प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री मोडूदान देथा, सदस्य
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित
श्री जे.के. पारीक, अपीलार्थी
श्री वी.पी. सिंह, राजकीय अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांक 23.01.2019

अपीलार्थी द्वारा यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, चितौडगढ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29–04–2003 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, बेगू के न्यायालय में प्रतिवादी प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 63 एवं 188 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम चेंची के गत खसरा नम्बर 523/1 रकबा 01बिस्वा गैर मुमकिन बाडा, गत खसरा नम्बर 538/2 रकबा 05बिस्वा, खसरा नम्बर 567/1 रकबा 03बिस्वा बाडा कुल किता तीन कुल रकबा 09बिस्वा वादी के पिता भोला की खातेदारी की थी, जिनकी मृत्यु के बाद वादी काबिज काश्त है। नवीन भू–प्रबन्ध के प्रभाव में आने से नवीन खसरा नम्बर 1301 रकबा 06बिस्वा जो खसरा नम्बर 541/2 से बनना सम्वत् 2022 में बताया गया है, जो गलत है जबकि गत खसरा नम्बर 538/2 रकबा 05बिस्वा से बना। नये खसरा नम्बर 1301 से गत खसरा नम्बर 541/2 दूर उत्तर तरफ है, जो 1300 नये नम्बर के बाद है, जो गत व हाल नक्श टेस से साफ दिखाई दे रहा है एवं नये खसरा नम्बर 130 से लगी हुई पश्चिमी तरफ नये खसरा नम्बर 1258 में से 02बिस्वा खसरा नम्बर 523/1 व 567/1 से बने है, जो नये रिकार्ड में बिलानाम दर्ज है, जिसका वादी खातेदारी हक प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः वादी को गत खसरा नम्बर 523/1, 567/1 एवं 538/2 से बने नवीन खसरा नम्बर 1301रकबा 06बिस्वा, 1307 रकबा 03बिस्वा व 1298 में से 02बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। विचारण न्यायालय द्वारा वादपत्र को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर वादपत्र में अंकित तथ्यों को अस्वीकार किया। विचारण न्यायालय द्वारा दावे एवं जवाबदावे के आधार पर अनुतोष सहित दो तनकियात कायम की गयी एवं उभय पक्ष की मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य लिपिबद्ध करने के उपरान्त अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29–07–2002 से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बेंगू द्वारा पारित उक्त निर्णय एवं डिक्री के विरूद्ध वादी की ओर से राजस्व अपील प्राधिकारी, चितौडगढ

के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गयी, जिसे उन्होंने अपने निर्णय 29–04–2003 से खारिज कर दिया। इसी निर्णय एवं डिक्री से व्यथित होकर वादी अपीलार्थी द्वारा यह अपील राजस्व मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3. हमने उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एव रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि विवादित भूमि भू–प्रबन्ध से पूर्व वादी अपीलार्थी के नाम दर्ज थी लेकिन भू–प्रबन्ध विभाग ने विवादित आराजी बिना किसी आदेश के बिला नाम दर्ज कर दी, जिसका भू–प्रबन्ध विभाग को कोई अधिकार नहीं था। उनका कथन है कि भू–प्रबन्ध विभाग को किसी की खातेदारी में परिवर्तन करने का कोई अधिकार नहीं है। उनका कथन है कि वादी अपीलार्थी ने अपनी दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से यह प्रमाणित किया कि विवादित आराजी उनकी खातेदारी की भूमि थी, जिसे भू–प्रबन्ध विभाग ने बिला नाम दर्ज कर दिया। उनका कथन है कि वादी द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष मिलान क्षेत्रफल प्रस्तुत किया जिससे स्पष्ट था कि आरजी खसरा नम्बर 538/2 से ही नवीन खसरा नम्बर 1301 बने एवं इसी प्रकार बाकी दो खसरा नम्बर से हाल खसरा नम्बर कायम किये गये। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है, जो विधिक एवं तथ्यात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने येाग्य है। अतः अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री को निरस्त करते हुए अपीलार्थी वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को डिक्री किया जाकर विवादित आराजी का वादीगण को खातेदार घोषित किया जावे।

5. योग्य राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि हाल खसरा नम्बर 1301, 1307 एवं 1298 साबिक खसरा नम्बर 538/1, 567/1 से बनना सिद्ध नहीं होता है। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार उक्त खसरा नम्बर साबिक खसरा नम्बर 539 व 541/2 से बनाया गया है। उनका कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा तथ्यात्मक त्रुटि नहीं है। उनका कथन है कि दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों ने प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए अपीलाधीन समवर्ती निर्णय पारित किये है, जिसमें द्वितीय अपील के माध्यम से किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे।

6. हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालयों से प्राप्त रिकार्ड का बारीकी से अध्ययन एवं मूल्यांकन किया।

7. अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने उपखण्ड अधिकारी, बेगू के न्यायालय में प्रतिवादी प्रत्यर्थीगण के विरूद्ध एक वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 63 एवं 188 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर कथन किया कि ग्राम चेंची के गत खसरा नम्ब्र 523/1 रकबा 01बिस्वा गैर मुमकिन बाडा, गत खसरा नम्बर 538/2 रकबा 05बिस्वा, खसरा नम्बर 567/1 रकबा 03बिस्वा बाडा कुल किता तीन कुल रकबा 09बिस्वा वादी के पिता भोला की खातेदारी की थी, जिनकी मृत्यु के बाद वादी काबिज काश्त है। नवीन भू–प्रबन्ध के प्रभाव में आने से नवीन खसरा नम्बर 1301 रकबा 06बिस्वा जो खसरा नम्बर

541/2 से बनना सम्वत् 2022 में बताया गया है, जो गलत है जबकि गत खसरा नम्बर 538/2 रकबा 05बिस्वा से बना। नये खसरा नम्बर 1301 से गत खसरा नम्बर 541/2 दूर उत्तर तरफ है, जो 1300 नये नम्बर के बाद है, जो गत व हाल नक्श टेस से साफ दिखाई दे रहा है एवं नये खसरा नम्बर 130 से लगी हुई पश्चिमी तरफ नये खसरा नम्बर 1258 में से 02बिस्वा खसरा नम्बर 523/1 व 567/1 से बने है, जो नये रिकार्ड में बिलानाम दर्ज है, जिसका वादी खातेदारी हक प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः वादी को गत खसरा नम्बर 523/1, 567/1 एवं 538/2 से बने नवीन खसरा नम्बर 1301रकबा 06बिस्वा, 1307 रकबा 03बिस्वा व 1298 में से 02बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। विचारण न्यायालय ने पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में तनकीवार निर्णय पारित करते हुए वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को खारिज कर दिया। तत्पश्चात् अपीलीय न्यायालय द्वारा भी वादी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज कर दिया।

8. प्रस्तुत प्रकरण में वादी अपीलार्थी ने गत खसरा नम्बर 523/1, 567/1 एवं 538/2 से बने नवीन खसरा नम्बर 1301रकबा 06बिस्वा, 1307 रकबा 03बिस्वा व 1298 में से 02बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। विचारण न्यायालय के समक्ष वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य यथा नक्शा साबिक प्रदर्श–3 व नक्शा हाल प्रदर्श–4 से यह सिद्ध नहीं होता है कि हाल खसरा नम्बर 1301, 1307 एवं 1298 साबिक खसरा नम्बर 523/1, 538/2 एवं 567/1 से बने है। मिलान खसरा भू–प्रबन्ध सम्वत् 2028 में गत खसरा नम्बर 541/2 से नवीन खसरा नम्बर 1301 कायम कर वादी भोला का अतिक्रमण दर्शाया गया है। इसी प्रकार खसरा नम्ब्र 1307 गत खसरा नम्बर 539 से कायम कर बिलानाम नाकाबिल काश्त दर्ज है। इसी प्रकार खसरा नम्ब्र 539 से नवीन खसरा नम्बर 1298 कायम किया

गया। उक्त से स्पष्ट है कि हाल खसरा नम्बर 1301, 1307 एवं 1298 साबिक खसरा नम्बर 539 व 541/2 से बने है। उक्त दोनों साबिक खसरा नम्बर 539 व 541/2 वादी की खातेदारी में दर्ज नहीं रहे है। उक्त से स्पष्ट है कि वादी अपीलार्थी द्वारा जिन नवीन खसरा नम्बरान पर खातेदारी का अनुतोष चाहा गया है उसके गत खसरा नम्बर मिलान क्षेत्रफल के अनुसार वादी अपीलार्थी की खातेदारी की दर्ज नहीं थे। ऐसी स्थिति में वादी विवादित आरजी बिलानाम सरकारी भूमि पर खातेदारी का अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकता। दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा इसी तथ्य एवं विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपीलाधीन विधिसम्मत् निर्णय एवं डिक्री पारित किये गये है, जिसमें किसी प्रकार की कोई तात्विक अनियमितता एवं अवैधानिकता परिलक्षित नहीं होती है।

9. योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा हमारे समक्ष बहस के दौरान ऐसा कोई ठोस नवीन तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे यह माना जावे कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा प्रकरण के तथ्यों के विपरीत तथा क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया हो। इस बाबत् विधिक स्थिति स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित समवर्ती निर्णयों में कोई कानूनी अथवा क्षेत्राधिकार सम्बन्धी त्रुटि नहीं हो, तो पारित निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने पक्षकारान की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के मद्देनजर विधिसम्मत् निर्णय पारित किये गये है, जिसमें द्वितीय अपील के माध्यम से हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

10. उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय

राजस्व अपील प्राधिकारी, चितौडगढ द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29–04–2003 एवं उपखण्ड अधिकारी, बेंगू द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29–07–2002 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य

(मोडूदान देथा)
सदस्य